

दामोदर घाटी निगम/DAMODAR VALLEY CORPORATION

वित्त विभाग, लेखा स्कंध /FINANCE DEPTT., ACCOUNTS WING पंशन अनुभाग /PENSION SECTION

डिवीसीटावर्स:वीआई पी रोड, कोलकाता - 700054 DVC TOWERS: VIP ROAD, KOLKATA - 700 054 PHONE NO. (033) 6607 2444/6607 2437/ 2446/2436

सं.एओ/पेंशन/लाइफ सर्टिफिकेट/2023/- **//**05 No. AO/Pension/Life Certificate/2023/- **//**105 दिनांक-19-10-2023

Date:19-10-2023

सभी पेंशनधारियों को आगे पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर माह के दौरान (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभौगियों के लिए अक्टूबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के विशेष प्रावधानों के साथ) वार्षिक लाइफ सिंटिफिकेट जमा करना होगा । इसलिए, दा घा नि के सभी पेंशनधारकों को सूचित किया जाता है कि नियमानुसार सभी पेंशनधारक प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह तक स्थिति अनुसार पेंशन भुगतान करने वाले बैंक शाखा में लाइफ सिंटिफिकेट जमा करना होगा अन्यथा जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लाइफ सिंटिफिकेट जमा कर सकते हैं । विस्तृत विवरण के लिए कृपया पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग, भारत सरकार कार्यालय जापन संख्या 1(2)/2023 पीएंडपीडब्ल्यू (एच) दिनांक- 09.08.2023 (दा घा नि पेंशनर्स पोर्टल पेज के तहत प्रकाशित) का संदर्भ ग्रहण करें ।

Every Pensioner has to submit Annual Life Certificate in the month of November (with special provisions for pensioners aged 80 years and above to submit Life Certificates in the Month of October) for further continuation of Pension. Therefore, this is to bring to the notice of all DVC pensioners that, as per rules pensioners are required to furnish a Life Certificate/Non-Marriage Certificate / Non- employment Certificate to the Paying Bank Branch by November in every year (or) Pensioners can submit Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal. For further details please refer the GOI OM vide No. 1(2)/2023-P&PW(H) dtd 09-08-2023 of Department of Pension and Pensioners' Welfare (published under DVC Pensioners' Portal page).

- (क) सभी नियमित पेंशनभोगियों (अर्थात पारिवारिक पेंशनभोगियों को छोड़कर) जिनकी पेंशन संशोधित पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत संबंधित बैंक के माध्यम से वितरित की जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र अखिल भारतीय आधार पर भुगतान बैंक शाखा में जमा करें (या) नीचे दिए गए फ़ील्ड का चयन करके जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
 - (A) All the Regular Pensioners (i.e other than Family Pensioners) whose pension is being disbursed through Respective Bank under Modified Pension Payment System are requested to submit their life certificate at paying Bank branch on pan India basis (or) can submit their Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal by Selecting the following fields as below;

Pension Section Authority	Damodar Valley Corporation
Pension Disbursing Agency /Authority	Respective Bank (i.e SBI/ PNB/ BOI/ UCO Bank/ Union Bank of Bank of India).
Agency	Respective Bank (i.e SBI/ PNB/ BOI/ UCO Bank/ Union Bank of Bank of India).

उपरोक्त विवरण के साथ जमा किए गए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र केवल संबंधित बैंकों द्वारा लिए जाएंगे और पेंशन तदनुसार जारी रखी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नियमित पेंशनभोगी संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं और तदनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

Digital Life Certificates submitted with above details only will be captured by respective banks and pension will be continued accordingly. For more details the regular pensioners can visit the respective bank's website and submit the life certificate accordingly.

(खा) सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों (अर्थात नियमित पेंशनभोगियों के अलावा) से अनुरोध है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र भुगतान बैंक शाखा में जमा करें (या) नीचे दिए गए फ़ील्ड का चयन करके जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं; (B) All the Family Pensioners (i.e other than Regular pensioners) are requested to submit their life certificate at paying Bank branch (or) can submit their Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal by Selecting the following fields as below;

Pension Section Authority	Damodar Valley Corporation
Pension Disbursing Agency /Authority	Damodar Valley Corporation
Agency	Damodar Valley Corporation

इसके अलावा, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए दिशानिर्देश और फेस ऑयेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीएलसी जमा करने के लिए एसओपी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग करके आधार पर आधारित है।

Guidelines for submission of Digital Life Certificate through Jeevan Praaman portal and SOP for submission of DLC through Face Authentication Technology based on Aadhaar using Android based smartphone, may refer under DVC Pensioners' Portal page.

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, पेंशन अनुभाग, दा घा नि, कोलकाता से संपर्क कर सकते हैं।

In case of any difficulties in submission of life certificate, may contact to Pension Section, DVC, Kolkata.

महाप्रबंधक (वित)

General Manager (Finance) दा घा नि, कोलकाता

a 1521 (15 15. 1023

DVC, Kolkata